

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अंराई (अजमेर)

1 रामस्वरूप पुत्र नाथूलाल उम्र करीब 55 वर्ष जाति दरोगा निवासी ग्राम मण्डावरिया
तहरसील अंराई जिला अजमेर राज0 वगै.

वादीगण

बनाम

2 गणपत पुत्र नाथूलाल वर्ष जाति दरोगा निवासी ग्राम मण्डावरिया तहरसील अंराई जिला
अजमेर राज0 वगै

प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा- 53,188 राज0 काश्तकारी अधि0

नंबर 42 / 2021

ऑनलाइन नंबर 2020 /

वकील वादीगण रामदेव गुर्जर

वकील प्रतिवादीगण

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08.07.2021	यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान का0 अधिनियम के तहत पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 28.07.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
<u>28/7/2021</u>	पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 1,2 के अहकाम तामील व 3,4,5 के तामिलशुदा मोर्चा शामिल मिसल। P.O. सा. राजस्थान में अन्तः पत्रावली दिनांक 03/08/2021 को पेश हो। Nakki	
<u>03/8/2021</u>	पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण की ओर से वकील श्री इंदिरा के रामचन्दानी द्वारा वकालतनामा पेश जो शामिल मिसल। वकील वादीगण द्वारा वादीगण की ओर से वाद आधारित करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश जो शामिल मिसल। वाद आधारित प्रार्थना पत्र पर वकील वादीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाद आधारित कर पत्रावली मिसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	

